04/07/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय शामिल मिसल जाकर दर्ज रजिस्टर हो नंबर से कम हो

निर्णय सुनाया गया

...अधिकारी
...गढ़ (राज.)

GCMS
2025/116

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 62/2025 GCMS:-2025/116   दायर दिनांक : 19.02.2025

1. राजाराम
2. भागीरथ
3. बंशीलाल

पुत्रगण मानाराम अकवाम मेघवाल साकिनान पदमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. लालचन्द
5. विष्णुदत

पुत्रगण रामूराम पुत्र मानाराम अकवाम मेघवाल साकिनान पदमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. देवकी पुत्री मानाराम पत्नी रामलाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा हाल हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कृष्णा पुत्री मानाराम पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा हाल बाबा रामदेव मन्दिर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सुखमा पुत्री मानाराम पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा हाल हरदासवाली (फौत) जरिये वारिस :—

3/1. सुभाष
3/2. सुरेन्द्र
3/3. निर्मला

माता सुखमा पुत्री मानाराम पत्नी बीरबलराम अकवाम मेघवाल साकिनान हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. सुपारी
5. प्रेमलता
6. भागवन्ती
7. वर्षा
8. निर्मला
9. सुमनदेवी
10. चन्द्रकला

पुत्रीयान रामूराम पुत्र मानाराम अकवाम मेघवाल साकिनान पदमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये [illegible] राज, तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

—प्रतिवादीगण

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री बृज मोहन शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री योगेश कुमार, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 10
3. पैरोकार राज

निर्णय दिनांक : 04.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने एक वाद वास्ते घोषणा इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 के पिता/ससुर/दादा/नाना मानाराम पुत्र देदाराम के नाम से वाके रोही अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 में 25.00 बीघा भूमि टी.सी. आवंटन हुई थी, जो बाद चकबन्दी चक 12 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं. 69/2 के पत्थर नं. 68/387 (4) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 व पत्थर नं. 68/388 (23) के किला नं. 1/1 से 3/2 = 0.759 है0, कुल 4.554 है0 कमाण्ड मय खाला एवं चक 13 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 108 के पत्थर नं. 68/386 (64) के किला नं. 13, 18, 21/2 से 23/2 = 1.190 है0 व पत्थर नं. 70/385 (53) के किला नं. 10–11 = 0.506 है0, कुल 1.696 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार दोनों चकों में कुल 6.250 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला आ.का.बाद 1955 पैमूद हुई और मानाराम पुत्र देदाराम के स्वर्गवास उपरान्त वादीगण सं. 1 से 3 व प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम एवं वादीगण सं. 4–5 व प्रतिवादीगण सं. 4 से 10 के पिता रामूराम तथा बोगी देवी पत्नी मानाराम के नाम 1/8–1/8 हिस्सा में दर्ज हुई। बरवक्त पुख्ता आवंटन प्रकरण सं. 69/08 निर्णय दिनांक 29.03.2008 में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने अपना हिस्सा जरिये शपथ–पत्र अपने भाइयों के हक में छोड़ दिया, किन्तु उक्त पुख्ता आवंटन का राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद ना करवाया जाकर सभी वारिसान के नाम [illegible] हिस्सा [illegible]बर विरासतन इन्तकाल दर्ज करवा दिया गया जिसके अनुसार [illegible] मानाराम,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

राजाराम, भागीरथ, बंशीलाल, रामुराम, देवकी, कृष्णा, सुखमा पुत्र/पुत्रीयान मानाराम प्रत्येक के नाम 1/8–1/8 हिस्सा दर्ज हो गया। वादीगण सं. 1 से 3 की माता बोगीदेवी का दिनांक 19.12.2019 को स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए प्रतिवादीगण सं. 1–2 व प्रतिवादी सं. 3 के जायज वारिस प्रतिवादीगण सं. 3/1 से 3/3 ने अपना व अपनी माता/नानी के हिस्सा में से प्राप्त रकबा का हक व हिस्सा मौखिक रूप से वादीगण सं. 1 से 3 व इनके भाई रामूराम के दिनांक 25.06.2013 के स्वर्गवास हो जाने के कारण वादीगण सं. 4 व 5 के पक्ष में छोड़ रखा है, इसलिए उक्त रकबा में से प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादीगण सं. 3/1 से 3/3 की माता सुखमा का नाम कलमजन योग्य है। चकबन्दी की पर्चा खतौनी बनाते समय सहवन से चक 12 एस.एल.डी. के रकबा में वादीगण की जाति मेघवाल के स्थान पर जाति जाट दर्ज कर दी व चक 13 एस.एल.डी. के रकबा में वादीगण की जाति रिक्त छोड़ दी। पुख्ता आवंटन आदेश में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 नाम अंकित ना होने से इसका अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में नहीं हो सका और वादीगण सं. 1 से 3 की माता बोगीदेवी पत्नी मानाराम व वादीगण सं. 4–5 के पिता रामूराम पुत्र मानाराम का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए वादीगण ने जैरवाद चक 12 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं. 69/2 के पत्थर नं. 68/387 (4) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 व पत्थर नं. 68/388 (23) के किला नं. 1/1 से 3/2 = 0.759 है0, कुल 4.554 है0 कमाण्ड मय खाला एवं चक 13 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 108 के पत्थर नं. 68/386 (64) के किला नं. 13, 18, 21/2 से 23/2 = 1.190 है0 व पत्थर नं. 70/385 (53) के किला नं. 10–11 = 0.506 है0, कुल 1.696 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार दोनों चकों में कुल 6.250 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला आ.का.बाद 1955 भूमि के बरवक्त पुख्ता आवंटन जरिये शपथ–पत्र व अन्य मौखिक रूप से प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा अपना 1/8–1/8 हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़ दी जाने से इनका नाम खाता से कलमजन किया जाकर इतने ही रकबा में वादीगण के हिस्से में जोड़ा जाकर व प्रतिवादीगण सं. 4 से 10 द्वारा अपना हक व हिस्सा वादीगण सं. 4 व 5 के

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

पक्ष में छोड़ दिये जाने से एवं इनकी माता/सास/दादी/नानी बोगी देवी पत्नी मानाराम के स्वर्गवास हो जाने से उक्त तमाम रकबा के वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा व वादीगण सं. 4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के गैरखातेदार कृषक घोषित किये जाने तथा चक 12 एस.एल.डी. में पक्षकारान की जाति जाट के स्थान पर जाति मेघवाल एवं चक 13 एस.एल.डी. में जाति रिक्त के स्थान पर जाति मेघवाल घोषित किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण स्वीकार करने का निवेदन किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

इकबाल दावा प्रस्तुत होने से तनकीयात ना बनाई जाकर साक्ष्य प्राप्त कर तर्क सुने गये। विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया व जमाबन्दी, पुख्ता आवंटन आदेश, अंकित काश्तकार बोगी देवी एवं रामूराम के मृत्यु प्रमाण–पत्रों का अवलोकन करवाया व इकबाल दावा में वाद स्वीकृति की ओर ध्यान दिलाया एवं शपथ–पत्र वादीगण के कथनों का अवलोकन करवाया। साथ ही पर्चा खतौनी की ओर ध्यान दिलाया जिसमें रोही अमरपुरा जाटान के खसरा नं. 183 की 25.00 बीघा भूमि चक 12 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 68/387 (4) व पत्थर नं. 68/388 (23) में कुल 4.554 है0 यानि 18.00 बीघा एवं चक 13 एस.एल.डी. के पत्थर नं. 68/386 (64) व पत्थर नं. 70/385 (53) में कुल 1.696 है0 यानि करीब 7 बीघा भूमि पैमूद हुई, जो कि वादीगण के पुख्ता आवंटित रकबे पोस्ट 55 की भूमि है। आज भी चक में वादीगण सं. 1 से 3, प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के स्वयं एवं वादीगण सं. 4–5 व प्रतिवादीगण सं. 4 से 10 के पिता रामूराम व इनकी माता/सास/दादी/नानी बोगीदेवी पत्नी मानाराम के नाम दर्ज है, जो कि पुख्ता आवंटन अनुसार बोगीदेवी पत्नी मानाराम, रामूराम, राजाराम, भागीरथ, बंशीलाल पि. मानाराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी [illegible] बोगीदेवी की मृत्यु होने व उनकी पुत्रियों द्वारा हिस्सा ना लेने से [illegible] 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी, पुत्रिया हिस्सा छोड़ चुकी है। इसी प्रकार रामूराम के

क्रमशः ..... पेज 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

स्वर्गवास उपरान्त उनके वारिसों में से प्रतिवादीगण सं. 4 से 10 के द्वारा अपना हिस्सा वादीगण सं. 4 व 5 के हक में छोड़ देने से रामूराम की 1/4 हिस्सा भूमि वादीगण सं. 4 व 5 के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज होनी चाहिए थी। प्रतिवादीगण इकबाल दावा दे चुके हैं, इसलिए इसी अनुसार वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण स्वीकार करने की प्रार्थना की।

बाद सुनवाई तर्कों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया एवं पाया कि मानाराम मूल आवंटिती की मृत्यु उपरान्त पट्टा पुख्ता आवंटन अनुसार जमाबन्दी में अंकन होना चाहिए था जिसमें आवंटिती बोगीदेवी पत्नी मानाराम, राजाराम, भागीरथ, रामूराम, बंशीलाल पुत्रगण मानाराम हैं। जमाबन्दी में इसी अनुसार बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा का नामान्तरण व अंकन जमाबन्दी में होना चाहिए था। बरवक्त पुख्ता आवंटन ही पुत्रियों के हक समाप्त हो चुके थे, इनका नाम जमाबन्दी में गलत अंकित है। पुख्ता आवंटिती को तमाम गैरखातेदार के हकूक प्राप्त हैं व इसी अनुसार उनका अंकन होना उचित है। बोगीदेवी की मृत्यु उपरान्त उनके वारिसों राजाराम, भागीरथ, रामूराम, बंशीलाल पुत्रगण मानाराम को व रामूराम की मृत्यु उपरान्त उसके 1/4 हिस्सा की भूमि का वादीगण सं. 4 व 5 को बहिस्सा बराबर यानि कुल भूमि में प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्सा का पुख्ता आवंटिती नियमानुसार घोषित किया जाना उचित है। पुख्ता आवंटन आदेश में पक्षकारान की जाति मेघवाल अंकित है, लेकिन चक 12 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं. 69/2 में काश्तकारान की जाति जाट अंकित कर दी गयी, इसलिए जाति जाट के स्थान पर जाति मेघवाल व चक 13 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 108/7 में जाति के रिक्त स्थान पर जाति मेघवाल अंकित किया जाना उचित है। साक्ष्य में पक्षकारान द्वारा आवंटित भूमि की किस्तें जमा करवाना प्रमाणित नहीं है जो उनके द्वारा जमा करवाई जाने योग्य है। तब तक राजस्व रिकॉर्ड में पुख्ता आवंटिती गैरखातेदार कृषक अंकित होने के पात्र हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर रोही अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 में वादीगण सं. 1 से 3 पुख्ता आवंटिती होने व इसके अनुसरण में पुख्ता आवंटन आदेश व पर्चा खतौनी एवं सूची नं. 4 मय जमाबन्दी के आधार पर चक 12 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं. 69/2 के पत्थर नं. 68/387 (4) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 व पत्थर नं. 68/388 (23) के किला नं. 1/1 से 3/2 = 0.759 है0, कुल 4.554 है0 कमाण्ड मय खाला एवं चक 13 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 108 के पत्थर नं. 68/386 (64) के किला नं. 13, 18, 21/2 से 23/2 = 1.190 है0 व पत्थर नं. 70/385 (53) के किला नं. 10–11 = 0.506 है0, कुल 1.696 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार दोनों चकों में कुल 6.250 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला भूमि का वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा यानि 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 4 व 5 को रामूराम के वारिस होने से उसके 1/4 हिस्सा का बहिस्सा बराबर यानि कुल भूमि में वादीगण सं. 4 व 5 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्सा का पुख्ता आवंटिती गैरखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। पुख्ता आवंटिती नियमानुसार उक्त घोषणा अनुसार पुख्ता आवंटन राशि जमा करवाने के दायित्व के अधीन होंगे। घोषणा के परिणामस्वरूप घोषणा अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त भूमि वादीगण के नाम अंकित करने व पूर्व अंकन कलमजन करने तथा उक्त दोनों जमाबन्दियों में वादीगण की जाति मेघवाल अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 09.07.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

अनवान :–

1. राजाराम
2. भागीरथ
3. बंशीलाल
} पुत्रगण मानाराम अकवाम मेघवाल साकिनान पदमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. लालचन्द
5. विष्णुदत
} पुत्रगण रामूराम पुत्र मानाराम अकवाम मेघवाल साकिनान पदमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. देवकी पुत्री मानाराम पत्नी रामलाल जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा हाल हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. कृष्णा पुत्री मानाराम पत्नी भगवानाराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा हाल बाबा रामदेव मन्दिर के पास, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. सुखमा पुत्री मानाराम पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल साकिन पदमपुरा हाल हरदासवाली (फौत) जरिये वारिस :–

   3/1. सुभाष
   3/2. सुरेन्द्र
   3/3. निर्मला
   } माता सुखमा पुत्री मानाराम पत्नी बीरबलराम अकवाम मेघवाल साकिनान हरदासवाली तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

4. सुपारी
5. प्रेमलता
6. भागवन्ती
7. वर्षा
8. निर्मला
9. सुमनदेवी
10. चन्द्रकला
} पुत्रीयान रामूराम पुत्र मानाराम अकवाम मेघवाल साकिनान पदमपुरा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

11. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज, तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 62 वर्ष 2025 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल क़िताई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण श्री बृज मोहन शर्मा व अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 1 से 10 श्री योगेश कुमार एवं पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

रोही अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 183 में वादीगण सं. 1 से 3 पुख्ता आवंटिती होने व इसके अनुसरण में पुख्ता आवंटन आदेश व पर्चा खतौनी एवं सूची नं. 4 मय जमाबन्दी के आधार पर चक 12 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 74 के खाता सं. 69/2 के पत्थर नं. 68/387 (4) के किला नं. 1 से 3, 8 से 13, 18 से 23 = 3.795 है0 व पत्थर नं. 68/388 (23) के किला नं. 1/1 से 3/2 = 0.759 है0, कुल 4.554 है0 कमाण्ड मय खाला एवं चक 13 एस.एल.डी. की जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 73 के खाता सं. 108 के पत्थर नं. 68/386 (64) के किला नं. 13, 18, 21/2 से 23/2 = 1.190 है0 व पत्थर नं. 70/385 (53) के किला नं. 10–11 = 0.506 है0, कुल 1.696 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड, इस प्रकार दोनों चकों में कुल 6.250 है0 कमाण्ड–अनकमाण्ड मय खाला भूमि का वादीगण सं. 1 से 3 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा यानि 3/4 हिस्सा बहिस्सा बराबर का व वादीगण सं. 4 व 5 को रामूराम के वारिस होने से उसके 1/4 हिस्सा का बहिस्सा बराबर यानि कुल भूमि में वादीगण सं. 4 व 5 प्रत्येक को 1/8–1/8 हिस्सा का पुख्ता आवंटिती गैरखातेदार कृषक घोषित किया जाता है। पुख्ता आवंटिती नियमानुसार उक्त घोषणा अनुसार पुख्ता आवंटन ... के दायित्व के अधीन होंगे। घोषणा के परिणामस्वरूप घोषणा अनुसार तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को उक्त भूमि वादीगण के नाम अंकित करने व ... तथा उक्त दोनों जमाबन्दियों में वादीगण की जाति मेघवाल अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

नोज ....×........ मुबलिग ....×......... बाबत ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×............. फसदों की पालना ....×.......... ज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 9.07.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.09 14:46:06 IST
Reason: SelfAttested